

राजस्थान सरकार  
कार्यालय जिला कलक्टर (रसद) बाड़मेर

क्रमांक : प. 15(24)(1)/रसद/2025/ 63

दिनांक : 22.05.2025

:: विज्ञप्ति 01/2025 ::

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत जिले में कुल 14 नवसृजित उचित मूल्य दुकानों के लिए इच्छुक एवं पात्र व्यक्तियों / संस्थाओं से राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश, 1976 के खण्ड 3(1) के तहत प्राधिकार पत्र जारी किये जाने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित करने का निर्णय लिया गया है।

इस हेतु विभागीय दिशा-निर्देश क्रमांक एफ 17(1) खा.वि./विधि/08 दिनांक 17.03.2016 एवं क्रमांक एफ. 17 (5) खा.वि. / न्याय/महि. आर./2019 दिनांक 25.11.2020 के अंतर्गत जिला रसद कार्यालय बाड़मेर से सशुल्क आवेदन पत्र दिनांक 23.05.2025 से प्राप्त किये जाकर जमा करवाने की अंतिम दिनांक 06.06.2025 (सांय 06.00 बजे तक) तक निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र आवश्यक दस्तावेजों के साथ जमा करवाये जा सकेंगे।

बाड़मेर जिले में नवसृजित उचित मूल्य दुकानें निम्नानुसार है -  
ग्रामीण

| क्र. सं. | नाम तहसील   | नाम ब्लॉक   | ग्राम पंचायत     | ग्राम का नाम/<br>दुकान का वितरण<br>केन्द्र | नवसृजित<br>/ रिक्त | आरक्षित/<br>अनारक्षित |
|----------|-------------|-------------|------------------|--------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| 1        | नोखड़ा      | आडेल        | नई बाण्ड         | नई बाण्ड                                   | नवसृजित            | अनारक्षित             |
| 2        | धोरीमन्ना   | धोरीमन्ना   | धोरीमन्ना        | धोरीमन्ना                                  | नवसृजित            | अनारक्षित             |
| 3        | धोरीमन्ना   | धोरीमन्ना   | रोहिला           | कावों की बेरी                              | नवसृजित            | अनारक्षित             |
| 4        | गुड़ामालानी | गुड़ामालानी | नया नगर          | नया नगर                                    | नवसृजित            | महिला<br>आरक्षित      |
| 5        | सेड़वा      | सेड़वा      | शेरपुरा          | शेरपुरा                                    | नवसृजित            | अनारक्षित             |
| 6        | सेड़वा      | सेड़वा      | नवातला<br>बाखासर | भीलों का पाड़ा                             | नवसृजित            | अनारक्षित             |
| 7        | चौहटन       | चौहटन       | खारावाला         | मण्डानेर                                   | नवसृजित            | अनारक्षित             |

|    |          |          |               |               |         |               |
|----|----------|----------|---------------|---------------|---------|---------------|
| 8  | धनाऊ     | धनाऊ     | मीठे का तला   | इब्रे का तला  | नवसृजित | अनारक्षित     |
| 9  | सेड़वा   | फागलिया  | बाबरवाला      | खारतलाई       | नवसृजित | महिला आरक्षित |
| 10 | चौहटन    | चौहटन    | केलनोर        | रासबानी       | नवसृजित | महिला आरक्षित |
| 11 | रामसर    | रामसर    | भीण्डे का पार | भीलों की ढाणी | नवसृजित | अनारक्षित     |
| 12 | गडरारोड़ | गडरारोड़ | सुन्दरा       | पांचला        | नवसृजित | अनारक्षित     |
| 13 | शिव      | शिव      | चोचरा         | चोचरा         | नवसृजित | महिला आरक्षित |
| 14 | चौहटन    | चौहटन    | मते का तला    | मते का तला    | नवसृजित | महिला आरक्षित |

#### 1. आवेदक की योग्यताएं एवं शर्तें

आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में होगा, जिस पर आवेदनकर्ता का रंगीन नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो तथा दो फोटो अलग से आवेदन के साथ संलग्न कर प्रस्तुत करना होगा। आवेदन पत्र केवल जिला रसद कार्यालय से जारी किये जायेंगे। अन्य किसी स्थान यथा टाईपिस्ट, नोटेरी स्टोर से प्राप्त किये गये आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे। एक आवेदन पत्र का मूल्य 100/- रुपये निर्धारित हैं जो जिला रसद अधिकारी, बाड़मेर के नाम से आवेदन पत्र प्राप्त करने से पूर्व ई-चालान के जरिये 1475-00-800-04-01 मद में जमा कराया जाकर प्राप्त किये जा सकेंगे।

1. शहरी क्षेत्र उचित मूल्य दुकान हेतु आवेदक के मामले में आवेदक उसी वार्ड का निवासी होगा, जिस वार्ड के उपभोक्ताओं को राशन सामग्री वितरण करनी है, अर्थात् उस उचित मूल्य दुकान की अधिकारिता क्षेत्र में स्थित वॉर्डों में से किसी एक वार्ड का निवासी होना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र में उचित मूल्य दुकान के मामले में आवेदक उसी पंचायत के किसी भी ग्राम या वार्ड का निवासी होना आवश्यक है, जिस पंचायत में उचित मूल्य दुकान स्थित हैं। (उचित मूल्य दुकान के क्षेत्र में निवासी होने के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र स्वरूप राशन कार्ड / वोटर लिस्ट / मूल निवास / निर्वाचन आयोग का परिचय पत्र / आधार कार्ड / जनआधार कार्ड में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत किया जा सकेगा), शहरी क्षेत्र में निवास से संबंध में वर्तमान नये वार्ड की निर्वाचन नामावली एवं राशनकार्ड में आवेदक का नाम दर्ज होना आवश्यक है। एक से अधिक योग्य आवेदन पत्रों के प्राप्त होने की स्थिति में वरीयता उसी वार्ड के निवासी को दी जायेगी जिसमें उचित मूल्य की दुकान स्थित है।

2. उचित मूल्य दुकान हेतु सभी श्रेणी के आवेदकों की आयु 21 वर्ष से 45 वर्ष तक होना चाहिए अर्थात् उचित मूल्य दुकान के आवेदन पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तिथि को आवेदक की आयु 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये। (उम्र के प्रमाण हेतु दसवीं की अंक तालिका/प्रमाण पत्र या अन्य अंक तालिका/प्रमाण पत्र जिसमें जन्म तिथि अंकित हो या पासपोर्ट / मतदाता पहचान पत्र/ड्राइविंग लाइसेन्स/आधार कार्ड/पैन कार्ड में से किसी एक की स्वप्रमाणित प्रति प्रस्तुत की जा सकती है)
3. आवेदक की शैक्षणिक योग्यता स्नातक उत्तीर्ण एवं कम्प्यूटर में Rajasthan Knowledge Corporation Limited (RKCL) या अन्य समकक्ष सरकारी संस्थान का तीन माह का आधारभूत प्रशिक्षण होना चाहिए। यदि उचित मूल्य दुकानों के आवेदकों में कोई भी आवेदक स्नातक स्तर की योग्यता नहीं रखता है, तो ऐसी स्थिति में 12वीं कक्षा उत्तीर्ण आवेदकों के प्रार्थना पत्रों को भी आवंटन हेतु स्वीकार किया जावेगा। यदि आवेदक कम्प्यूटर में प्रशिक्षण प्राप्त नहीं है तो आवेदन के साथ आवेदक यह शपथ-पत्र देगा कि वह चयनित होने के 08 माह की अवधि में प्रशिक्षण प्राप्त कर लेगा व ऐसे चयनित व्यक्तियों को प्रशिक्षण के बाद प्राधिकार पत्र दिया जायेगा। आवेदक, समितियाँ / समूह/निकाय होने पर सम्बन्धित सचिव/ प्रबन्धक को कम्प्यूटर दक्षता एवं शैक्षणिक योग्यताओं को पूर्ण करना अनिवार्य होगा। इस बाबत प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
4. आवेदक को अन्नपूर्णा भण्डार हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्ड पूर्ण करने होंगे। यदि आवेदन पहले से ही अन्नपूर्णा भण्डार के मापदण्डों को पूर्ण करता है, तो उसकी पुष्टि में दुकान का नक्शा-स्वामित्व-किरायानामा आदि से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। जो आवेदक आवेदन के समय अन्नपूर्णा भण्डार के मापदण्डों को पूर्ण नहीं करते हैं उन्हें छः माह के मापदण्ड पूर्ण किये जाने का घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा। विशेष परिस्थितियों में ही मापदण्ड पूर्णता अवधि राज्य सरकार/जिला कलक्टर द्वारा अधिकतम छः माह बढ़ायी जा सकेगी। यदि घोषणा पत्र के अनुसार प्राधिकृत होने पर मापदण्ड पूर्ण नहीं किये जाते हैं, तो प्राधिकार पत्र निरस्त किया जा सकेगा।
5. आवेदक को आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में भरकर तथा समस्त आवश्यक कॉलम की पूर्ति करते हुए एवं आवेदनकर्ता का रंगीन पासपोर्ट साईज फोटो लगाते हुए व अंकित घोषणाओं के सम्बन्ध में 50 रु. के स्टाम्प पर नोटेरी से सत्यापित शपथ पत्र देना होगा।
6. उचित मूल्य दुकान हेतु आवेदन करने वाले पुरुष/महिला के दिनांक 01.01.2015 के बाद पैदा हुई सन्तान सहित दो से अधिक संतान नहीं होनी चाहिए। निर्धारित तिथि पश्चात दो से अधिक संतान होने की स्थिति में कोई भी व्यक्ति आवेदन का पात्र नहीं होगा। उचित मूल्य दुकान आवंटन होने के पश्चात भी यदि किसी उचित मूल्य दुकानदार के तीसरी संतान होती है तो ऐसे उचित मूल्य दुकानदार का प्राधिकार पत्र निरस्तनीय होगा, परन्तु किसी आवेदक के दिनांक 31.12.2014 को एक ही संतान है तथा पश्चातवर्ती किसी एकल प्रसव से एक से अधिक संतान पैदा हो जाती है, तो संतानों की गणना करते समय इस प्रकार एक प्रसव से पैदा हुई संतानों को एक इकाई ही समझा जाए।



## 2. आवेदन पत्र के साथ सलंगन किए जाने वाले दस्तावेज :-

1. शैक्षणिक योग्यता (स्नातक) संबंधी प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रतियां।
2. आरकेसीएल (आरएस-सीआईटी) कम्प्यूटर प्रशिक्षण का प्रमाण-पत्र। उक्त प्रमाण पत्र नहीं होने की स्थिति में शपथ पत्र सलंगन करना होगा, जिसमें यह उल्लेख होगा कि दुकान आवंटन होने के अधिकतम 08 माह के भीतर आरकेसीएल (आरएस-सीआईटी) का 03 माह का आधारभूत प्रशिक्षण प्राप्त कर प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर दिया जाएगा।
3. आवेदक सहकारी समिति/महिला स्वयं सहायता समूह/निकाय होने की स्थिति में उनके प्रबंधक / सचिव की कम्प्यूटर दक्षता एवं शैक्षणिक योग्यताओं को पूर्ण करना अनिवार्य होगा। इस बाबत प्रमाण-पत्र भी प्रस्तुत करने होंगे।
4. आवेदक सहकारी समिति/महिला स्वयं सहायता समूह/गाम पंचायत होने की स्थिति में संबंधित बोर्ड की अभिशंषा का पत्र प्रस्तुत करना होगा।
5. आवेदक द्वारा संबंधित तहसीलदार द्वारा जारी न्यूनतम 1,00,000/- रुपये का हैसियत प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जावेगा। महिला स्वयं सहायता समूह के लिए कार्यक्रम अधिकारी महिला अधिकारिता की अभिशंषा सहित समूह की वित्तीय हैसियत न्यूनतम 25 हजार रुपये होने संबंधी प्रमाण-पत्र की प्रति।
6. प्रस्तावित दुकान का नक्शा दो प्रतियों में उपलब्ध करवाना होगा जो संबंधित क्षेत्रीय प्रवर्तन अधिकारी/निरीक्षक द्वारा संवीक्षा के समय प्रमाणित किया जायेगा।
7. आवेदक द्वारा निम्न विन्दुओं को अंकित करते हुए एक घोषणा पत्र दिया जायेगा :-
  - a. आवेदक पूर्व में आवश्यक वस्तु अधिनियम एक्ट के तहत दण्डित नहीं हुआ है।
  - b. आवेदक द्वारा दुकान का संचालन स्वयं किया जावेगा।
  - c. आवेदक के परिवार में किसी सदस्य यथा, माता-पिता, पुत्र एवं पुत्री के नाम से पूर्व में कोई दुकान नहीं है।
  - d. आवेदक को विधिक रूप से अयोग्य घोषित नहीं किया गया है।
  - e. आवेदक बालिग एवं स्वस्थ चित है, चाल-चलन अच्छा है तथा कभी दिवालिया घोषित नहीं हुआ है।
  - f. आवेदक द्वारा दिनांक 01.01.2015 के बाद दो से अधिक संतान नहीं होने का स्पष्ट कथन किया जायेगा।
8. मूल निवास प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रति।
9. जाति प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रति।
10. आधार कार्ड की प्रमाणित प्रति।
11. राशन कार्ड की प्रमाणित प्रति।
12. मतदाता परिचय पत्र की प्रमाणित प्रति।
13. पासपोर्ट साईज के 03 नवीनतम रंगीन फोटो जिनमें से एक आवेदन पत्र पर चस्पा किया जायेगा एवं दो सलंगन किये जायेंगे।

### 3. चयन प्रक्रिया व प्राथमिकता :-

1. जनजाति उपयोजना के अनुसूचित क्षेत्रों और बांरा जिले की किशनगंज एवं शाहबाद तहसील क्षेत्रों में आरक्षण के क्रम में आवंटन सलाहकार समिति प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार कर अपनी अभिशंषा जिला कलक्टर को प्रस्तुत करेगी। साक्षात्कार द्वारा आवेदकों के प्रार्थना पत्रों पर विचार के समय आवेदक के चयन के प्राथमिकता क्रम में आवंटन सलाहकार समिति द्वारा चयन प्रक्रिया निम्नानुसार अपनाई जायेगी - 1. दिव्यांग (बेरोजगार) 2. भूतपूर्व सैनिक (बेरोजगार) 3. अन्य पात्र (बेरोजगार)
2. महिला क्षैतिज आरक्षण के क्रम में आवंटन सलाहकार समिति प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार कर अपनी अभिशंषा जिला कलक्टर को प्रस्तुत करेगी। साक्षात्कार द्वारा आवेदकों के प्रार्थना पत्रों पर विचार के समय आवेदक के चयन के प्राथमिकता क्रम में आवंटन सलाहकार समिति द्वारा चयन प्रक्रिया निम्नानुसार अपनाई जायेगी - 1. दिव्यांग महिला (बेरोजगार), 2. शहीद की विधवा, (विरांगना) (बेरोजगार), 3. विधवा (बेरोजगार), 4. परित्यक्ता (बेरोजगार), 5. भूतपूर्व सैनिक महिला (बेरोजगार), 6. अन्य पात्र महिला (बेरोजगार)
3. अनारक्षित वर्ग के क्रम में आवंटन सलाहकार समिति प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार कर अपनी अभिशंषा जिला कलक्टर को प्रस्तुत करेगी। साक्षात्कार द्वारा आवेदकों के प्रार्थना पत्रों पर विचार के समय आवेदक के चयन के प्राथमिकता क्रम में आवंटन सलाहकार समिति द्वारा चयन प्रक्रिया निम्नानुसार दो चरणों में पूर्ण की जायेगी -

#### प्रथम वरियता (संस्थागत)

(1) ग्राम सेवा सहकारी समिति/लेम्पस (वृहत्तर क्षेत्रीय बहुदोषीय सहकारी समिति) / दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति, जो कि सहकारी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत हैं,

(2) महिला स्वयं सहायता समूह, जो, राज्य सरकार के महिला अधिकारिता विभाग से चयनित अथवा मान्यता प्राप्त है तथा न्यूनतम 3 वर्ष का कार्य का अनुभव हो

(3) ग्राम पंचायत/निगमित निकाय

- आवेदक/ समितियों/समूह/निकाय में सचिव/ प्रबंधक का कम्प्यूटर दक्ष एवं शैक्षणिक योग्यताओं को पूर्ण करना अनिवार्य होगा। इस बाबत प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
- यदि विज्ञापन किये जाने के पश्चात् प्रथम वरियता में अंकित बिन्दु संख्या 01 से 03 के अंतर्गत एक ही आवेदन प्राप्त होता है, तो उसको प्राधिकार पत्र जारी किया जायेगा। इस श्रेणी के दो या दो से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होने पर ही आवंटन हेतु निर्धारित प्रक्रिया अपनाई जायेगी।
- महिला स्वयं सहायता समूह के अनुभव के आंकलन के संबंध में निम्न आधार होंगे 1. समूह का गठन कम से कम तीन वर्ष पूर्व का हो। 2. समूह का कम से कम तीन वर्ष पूर्व बैंक में खाता खुला हो। 3. समूह के सदस्य तीन वर्षों से आंतरिक लेन-देन में सलग्न हो।

द्वितीय वरीयता व्यक्तिगत (प्रथम वरीयता में आवेदन उपलब्ध नहीं होने पर)

(1) दिव्यांग (बेरोजगार)

(2) भूतपूर्व सैनिक (बेरोजगार),

(3) अन्य पात्र (बेरोजगार)

- द्वियांग को स्वास्थ्य विभाग का प्रमाण पत्र या समाज कल्याण विभाग का प्रमाण पत्र, विरांगना को सेना द्वारा जारी प्रमाण पत्र, विधवा व परित्यक्ता को सम्बन्धित विभाग का प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिक/भूतपूर्व सैनिक महिला को सेना से डिस्चार्ज होने का प्रमाण पत्र तथा बेराजगार को एम्प्लोयमेंट एक्स्चेंज का पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करनी होगी।

अन्य प्रावधान -

- द्वितीय वरीयता के अन्तर्गत चयनित उचित मूल्य दुकानदार की कार्य करने की अधिकतम सीमा 60 वर्ष की आयु तक होगी।
- सभी आवेदकों को दो राजपत्रित अधिकारियों के चरित्र प्रमाण पत्र आवेदन के साथ संलग्न कर प्रस्तुत करने हैं, जो 06 माह से अधिक पुराने नहीं होने चाहिए।
- प्रत्येक आवेदक अथवा पदाधिकारी (महिला स्वयं सहायता समूह/ग्राम सेवा सहकारी समिति/लैम्प्स /दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति के मामले में) को अण्डरटेकिंग प्रस्तुत करनी होगी कि उसके घर में कार्यशील शौचायल (functional toilet) है। उक्त प्रावधान उचित मूल्य दुकान आवंटन के लिए अनिवार्य अर्हता होगी।

उपरोक्त रिक्तियों के संबंध में खाद्य विभाग के पत्र क्रमांक एफ 17 (1) खा.वि./विधि/08 दिनांक 17.03.2016 एवं क्रमांक एफ. 17 (5) खा.वि. / न्याय/महि. आर./2019 दिनांक 25.11.2020 द्वारा जारी उचित मूल्य दुकान आवंटन के दिशा-निर्देशों में वर्णित चयन प्रक्रियानुसार कार्रवाई की जानी है। उचित मूल्य दुकानों के संबंध में विस्तृत जानकारी जिला रसद कार्यालय बाड़मेर एवं विभागीय वैबसाईड पर उपलब्ध है।

<https://food.rajasthan.gov.in>

उक्त रिक्तियों की संख्या में कमी/बढ़ोतरी/संशोधन विभाग द्वारा किया जा सकता है तथा रिक्तियों को भरने/ना भरने के संबंध में विभाग का निर्णय सुरक्षित रहेगा।



(टीना डाबी)

जिला कलक्टर (रसद)

बाड़मेर

क्रमांक : प. 15(24)(1)/रसद/2025/64-83

दिनांक : 22.05.2025

प्रतिलिपि:-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. श्री उमेदा राम, माननीय सांसद महोदय, लोकसभा क्षेत्र बाड़मेर।
2. श्री के.के.विश्वनोई, माननीय राज्यमंत्री/विधायक महोदय, विधान सभा क्षेत्र गुड़ामालानी।
3. श्री महेन्द्र चौधरी, जिला प्रमुख, जिला परिषद, बाड़मेर।
4. डॉ. प्रियंका चौधरी, माननीय विधायक महोदय, विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर।
5. श्री रविन्द्रसिंह भाटी, माननीय विधायक महोदय, विधान सभा क्षेत्र शिव।
6. श्री आदूराम मेघवाल, माननीय विधायक महोदय, विधान सभा क्षेत्र चौहटन।
7. श्रीमान् शासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राज. जयपुर।
8. श्रीमान् अतिरिक्त खाद्य आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राज. जयपुर।



9. श्रीमान् सम्भागीय आयुक्त महोदय, संभाग जोधपुर।
10. श्रीमान् मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, बाड़मेर।
11. श्रीमान् उपनिदेशक, जिला सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, बाड़मेर को भेजकर निवेदन है कि जिले की वेब साईट [barmer.rajasthan.gov.in](http://barmer.rajasthan.gov.in) पर अपलोड करावें।
12. उपखण्ड अधिकारी, (समस्त) जिला बाड़मेर।
13. प्रोग्रामर डीओआईटी, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान, जयपुर को विभागीय वेब साईट पर अपलोड करने के लिए।
14. जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी, बाड़मेर को भेजकर लेख है कि उक्त विज्ञप्ति निःशुल्क प्रकाशित करवाने की व्यवस्था करवावे।
15. समस्त तहसीलदार, जिला बाड़मेर।
16. आयुक्त नगर परिषद्, बाड़मेर।
17. समस्त विकास अधिकारी / प्रधान, पंचायत समिति / सरपंच, ग्राम पंचायत जिला बाड़मेर।
18. प्रवर्तन अधिकारी / प्रवर्तन निरीक्षक बाड़मेर।
19. नोटिस बोर्ड, कार्यालय हाजा / जिला कलक्टर कार्यालय, बाड़मेर।

  
जिला रसद अधिकारी  
बाड़मेर